न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 213 / 2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र श्री झिण्डुराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. मूलाराम पुत्र झिन्डूराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

2. हरी सिह पुत्र झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. गुडडी देवी पुत्री झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी पुत्री झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. मामकोरी पत्नी झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. इन्द्राज पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. मंजु देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खझिन्ड्राम जी की मृत्यु के समय उसके वारिसान में उसकी पत्नि मामकोरी दावा में दर्ज गैरसायल सं. 5 एंव तीन पुत्र मुलाराम व हरीसिंह व धर्मपाल तथा दो पुत्रीयान परमेश्वरी व गुडडी है तथा एक पुत्री बिदामी देवी की मृत्यु हो चुकी थी जिसके वारिस इन्द्राज व पुत्र मंजु देवी दावा में दर्ज गैरसायलान सं. 6 व 7 है जो कि झिन्डुराम जी की मृत पुत्री के पुत्र व पुत्री होने के कारण हिन्दु उताराधिकार कानुन के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण प्रथम श्रेणी के वारिस है।. प्रतिवादी स0. 1 की आयु वर्तमान में 66 वर्ष है और सन् 1962 में उसकी आयु महज 4–5 वर्ष थी उस समय तक उसकी शिक्षा हेतु स्कल में भी दाखिल नहीं किया गया था और वह ऐसा कोई कार्य करने में समक्ष नही था। जिससे कोई आय प्राप्त कर सके अर्थात उसकी कोई आय नहीं थी समय वह अपने भाई बहनो में लाड़ला था।

वर्ष 1962 में वादी के पिता ने अपनी पारिवारिक पैतृक कृषि भूमि की आय सयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से अपनी पत्नि दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 5 की राय से खर्च करते थे और उन्होंने वर्ष 1962 में सयुक्त परिवार की कृषि भूमि की आय में आवश्यक खर्चा के बाद बचत करके जमा की गई राशि से अपनी पत्नि की राय के अनुसार दिनाक 18 / 03 / 1962 को तहसील नोहर के ग्राम टिडियासर की रोही में स्थित खसरा नम्बर 59 की 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 400 रूपये प्रतिफल अदा करके उक्त कृषि भूमि के खातेदार से क्रय की और उसका बैयनामा अपने नाबालिग पुत्र प्रतिवादी स0 1 के नाम से निष्पादित करवाकर पंजीकृत करवाया । उपरोक्त कृषि भूमि वादी के पिता ने अपनी पत्नि की राय से पूरे परिवार के लिए खरीद की थी केवल गैरसायल सं. 1 के लिए खरीद नहीं की थी उक्त सम्पत्ति को क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:09:27 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करने में सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि की आय से बचत हुई राशि लगी थी उक्त भूमि झिन्दूराम जी की व उनके पुरे परिवार के सदस्यों के स्वामित्व की थी और उस सम्पति को क्रय किये जाने के पश्चात झिन्दूराम के जीन पुत्र व पुत्रीयों का जन्म हुआ उनका भी उक्त सम्पति में गैरसायल सं. 1 के बराबर हक व स्वामित्व था। उक्त भूमि के विक्रय–पत्र के निष्पादन के समय प्रतिवादी सं. 1 की आयु 4 व 6 वर्ष थी उसकी कोई आय नही थी वह 4 व 5 वर्ष का नाबालिग बच्चा था तथा उसके पास आय प्राप्त करने का कोई साधन नही था और ना ही वह कोई कार्य करने के लिए सक्षम था इसलिए उसने वादग्रस्त कृषि भूमि क्रय करने में कोई प्रतिफल राशि अदा नहीं की बल्कि समस्त प्रतिफल राशि व वैयनामा पंजीयन का खर्चा वादी के पिता झिन्डूराम जी द्वारा पैतृक सम्पति से हुई आय की बचत में से अदा किया गया। वादी के पिता ने अपनी पत्नि की राय से अपने अवयस्क पुत्र के नाम सयुक्त परिवार के लिए कृषि भूमि खरीद की थी और झिन्डुराम जी ने उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करके काश्त करना प्रारम्भ किया था और वे उसे जीवन प्रयन्त काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादीगण ही काश्त करते आ रहे है गत दिनों वादी से अन्य कारणो से विवाद होने से पूर्व कभी भी प्रतिवादी स. 1 ने उक्त भूमि अकेले खुद की होने का कथन नही किया व हमेशा ही स्वीकारता रहा है कि भूमि उसके नाम से है लेकिन उसमें झिन्डुराम के सभी वारिसान का हक है। उपरोक्त कारणों से प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त कृषि भूमि के वैयनामा का मुल दस्तावेज भी स्वंय के पास नही रखा वह कहता था कि मुल कागजात उसके पास होने की सूरत में वह अपने स्वंय के परिवार के दबाब में आकर या लालच वंश भूमि अकेले की होना क्लेम कर सकता है उक्त कृषि भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि से प्राप्त आय से खरीद की गई भूमि होने के कारण व स्वंय झिन्छूराम जी द्वारा उक्त भूमि क्रय करके कब्जा प्राप्त करने का कारण झिन्डूराम जी के ही कब्जा काश्त में रही और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि प्रतिवादी सं. 5 तथा पुत्रो सायल व प्रतिवादी स0. 1 प्रतिवादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 6 के सयुक्त कब्जा काश्त में रही तथा भारतीय उपराधिकार कानून के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 3,4, व 7 भी झिन्दूराम जी के प्रथम श्रेणी के वारिस होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि के उतराधिकारी है तथा उक्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 दोनो का सयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा है। इसी अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक् नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:09:27 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने कथन किया की वर्ष 1962 में वादी के पिता ने अपनी पारिवारिक पैतृक कृषि भूमि की आय सयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से अपनी पत्नि प्रतिवादी सं. 5 की राय से अपनी आमदनी की बचत की थी और उन्होंने वर्ष 1962 में सयुक्त परिवार की कृषि भूमि की आय में आवश्यक खर्चा के बाद बचत करके जमा की गई राशि से अपनी पत्नि की राय के अनुसार दिनाक 18/03/1962 को तहसील नोहर के ग्राम टिडियासर की रोही में स्थित खसरा नम्बर 59 की 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 400 रूपये प्रतिफल राशि अदा कर उक्त कृषि भूमि के खातेदार से क्रय की और उसका बैयनामा अपने नाबालिग पुत्र प्रतिवादी 1 के नाम से निष्पादित करवाकर पंजीकृत करवाया, उस वक्त प्रतिवादी स0 1 की उम्र महज 4 या 5 साल थी इसलिए उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक भूमि है वादी द्वारा उक्त कथन किया गया है कि प्रतिवादी स0 1 नाबालिग था लेकिन प्रतिवादी स0 1 के नाबालिग के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है किया गया जिससे यह साबित हो की उस समय प्रतिवादी स0 1 वर वक्त बैयनामा नाबालिग था। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:09:27 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 213/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र श्री झिण्डुराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. मूलाराम पुत्र झिन्डूराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

2. हरी सिह पुत्र झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. गुडडी देवी पुत्री झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी पुत्री झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. मामकोरी पत्नी झिन्डुराम जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. इन्द्राज पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. मंजु देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 213 सन 2023 निर्णय दिनांक 07/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:09:27 IST
Reason: SelfAttested